न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 403 सन 2021

अनवान :–

1. खुशी मोहम्मद पुत्र गन्नी खा जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. गिरधावरी पत्नी गन्नीखां जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. सम्सुदीन पुत्र गन्नीखां जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. मुमताज पुत्री गन्नी खा जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. बिसमीला पुत्री गन्नीखां जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 08/03/2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 564 मिन की 33.00 बीधा भूमि गन्नी खा वल्द माडुखां जाति धोबी निवासी ननाउ को दिनांक 25.08.1977 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता गन्नी खां वल्द माडुखा एवं वादी के पिता गन्नीखां के देहान्त होने पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 564 की 33.00 बीधा भूमि को हेक्टयर में परिर्वतन किया जाकर 8.3470हैक्ट में पैमुद की गई है जो वर्तमान जमाबन्दी में वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है।

गन्नी खां वल्द माडुखा जाति धोबी साकिन ननाउ का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसके वादी के पिता गन्नी खा वल्द माडुखां को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त होने के कारण विरास्तन से वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 564/5 की 8.3470हैक्ट भूमि दिनांक 25.08.1977 को वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता गन्नी खां वल्द माडुखां के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी गन्नीखां उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है ।

वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी गन्नीखां को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 564/5 की कुल 8.3470हैक्ट भूमि का वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वहिव खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 564/5 की कुल 8.3470हैक्ट भूमि जो वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां को दिनांक 25.08.1977 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता गन्नीखां के देहान्त होने के बाद वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 564 मिन की 33.00 बीघा भूमि गन्नी खा वल्द माडुखां जाति धोबी निवासी ननाउ को दिनांक 25.08.1977 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता गन्नी खां वल्द माडुखा एवं वादी के पिता गन्नीखां के देहान्त होने पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 564 की 33.00 बीघा भूमि को हेक्टयर में परिर्वतन किया जाकर 8.3470हैक्‍ में पैमुद की गई है जो वर्तमान जमाबन्दी में वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है।

गन्नी खां वल्द माडुखा जाति धोबी साकिन ननाउ का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसके वादी के पिता गन्नी खा वल्द माडुखां को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त होने के कारण विरासत से वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 564/5 की 8.3470हैक्‍ भूमि दिनांक 25.08.1977 को वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता गन्नी खां वल्द माडुखां के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी गन्नीखां उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है ।

वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी गन्नीखां को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 564/5 की कुल 8.3470हैक्‍ भूमि का वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 564 की कुल 33.00 बीघा भूमि गन्नीखां वल्द माडुखां जाति धोबी निवासी ननाउ को दिनांक 25.08.1977 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
नो...

Scanned with CamScanner

आवंटि गन्नीखां वल्द माडुखां का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिनके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गन्नीखां वल्द माडुखां के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो के सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

अर्थात वाद भूमि गन्नीखां वल्द माडुखां को दिनांक 25.08.1977 को आवंटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी गन्नीखां वल्द माडुखा के देहान्त होने पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुखां जाति धोबी निवासी ननाउ को रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 564 की 33.00 बीघा भूमि दिनांक 25.08.1977 को आवंटित की गई थी जो वर्तमान में हैक्टयर में परिर्वतन की जाकर रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 564/5 की 8.3470हैक्ट में पैमुद की जाकर वादी के पिता आवंटी गन्नीखां वल्द माडुखां के नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज गन्नीखां वल्द माडंखा को आवंटन दिनांक 25.08.1977 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 25.08.1977 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता गन्नीखां को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :-

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता गन्नीखां वल्द माडुंखा जाति धोबी निवासी ननाउ को रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 564/5 की कुल 8.3470हैक्टर भूमि को आवंटन नियम 1957/1970 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 एव आवंटी गन्नीखां वल्द माडुखां जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर जो अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 675/663 के खसरा न0 564/5 कुल 8.3470हैक्टर भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीघा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमावन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. खुशी मोहम्मद पुत्र गन्नी खा जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. गिरधारी पत्नी गन्नीखां जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. सम्सुदीन पुत्र गन्नीखां जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. मुमताज पुत्री गन्नी खा जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. बिसमीला पुत्री गन्नीखां जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 483 सन 2021 निर्णय दिनांक –08/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 675/663 के खसरा न0 564/5 कुल 8.3470हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner